# मध्यप्रदेश विधान सभा

## संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

## शुक्रवार, दिनांक 12 मार्च, 2010 (फाल्गुन 21, 1931)

**विधान सभा पूर्वाह्न 10.33 बजे समवेत हुई.**

**अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.**

### 1. बधाई

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा सतना में चार ईनामी डाकुओं को मार गिराने संबंधी उल्लेख किया। सदन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, श्री शिवराज सिंह चौहान के माध्यम से मध्यप्रदेश पुलिस को बधाई दी गई।

### 2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 16 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 107 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 100 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

### 3. नियम 267- क के अधीन विषय

**अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -**

(1) श्री अजय सिंह, सदस्य की भोपाल की इंजानियरिंग और फार्मेसी संस्थाओं के पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति न दी जाने,

(2) श्री जसवंत सिंह हाड़ा, सदस्य की शिवपुरी जिले के सड़ैया एवं महुआर नदी पर सिंचाई बांध बनाये जाने,

(3) श्री देवेन्द्र पटेल, सदस्य की रायसेन की सिलवानी क्षेत्र की सड़कें जर्जर होने,

(4) श्री लक्ष्मण तिवारी, सदस्य की रीवा के हनुमना में गलत स्कूल के नाम की मार्कशीट दी जाने,

(5) श्री ध्रुवनारायण सिंह, सदस्य की प्रदेश में विद्युत कटौती से परीक्षाएं प्रभावित होने,

(6) श्री मदन कुशवाह, सदस्य की प्रदेश में ट्यूबवेल खनन के बाद सूखे बोरों में केसिंग पाईप न निकाले जाने,

(7) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य की टीकमगढ़ की अंजनी माता मंदिर सड़क न बनाये जाने,

(8) श्री रामकिशोर कावरे, सदस्य की बालाघाट के परसवाड़ा में महाविद्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण न होने,

(9) श्री ठाकुरदास नागवंशी,सदस्य की होशंगाबाद के विकास खण्ड वनखेड़ी के कई ग्रामों के विद्युत ट्रांसफार्मर खराब होने,

(10) श्री गिरिजाशंकर शर्मा, सदस्य की होशंगाबाद के शवदाह स्थल को प्रदूषण मुक्त किये जाने,

(11) श्री ब्रजराज सिंह चौहान, सदस्य की श्योपुर में दूषित पानी पीने से बीमारियां फैलने,

(12) डॉ. निशिथ पटेल, सदस्य की कटनी के बहोरीबन्द में डॉक्टर्स आदि के पद रिक्त होने,

(13) श्री ताराचंद बावरिया, सदस्य की छिन्दवाड़ा के जिला सहकारी बैंक में अवैध नियुक्ति होने,

(14) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की ग्वालियर के शारदा विहार कालोनी में आवास निर्माण की अनुमति न दी जाने,

(15) श्री आरिफ अकील, सदस्य की प्रदेश में यातायात चेकिंग के नाम पर महिलाओं को परेशान किये जाने तथा

(16) श्री पारस दादा, सदस्य की माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा नवीं की परीक्षाएं रविवार को कराई जाने

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई।

### 4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार, भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन, दिनांक 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष का (राजस्व प्राप्तियां) पटल पर रखा।

(2) श्री कैलाश विजयवर्गीय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार, ऑप्टेल टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड का अठारहवां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2006-2007 पटल पर रखा।

(3) श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (क्रमांक 42 सन् 2005) की धारा 12 की उपधारा (3) (च) की अपेक्षानुसार, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम मध्यप्रदेश का प्रशासकीय प्रतिवेदन, वर्ष 2008-2009 पटल पर रखा।

(4) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 19 की अपेक्षानुसार, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) का सोलहवां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2009 पटल पर रखा।

## 5. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि आज की कार्य सूची में 15 ध्यान आकर्षण सूचनाओं को उनके विषय की गंभीरता और महत्व को देखते हुए सम्मिलित किया गया है। विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमशः प्रथम आठ ध्यान आकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़ी जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनाएं सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। उपस्थित सदस्यों की सूचनाओं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(1) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य ने ग्वालियर चंबल संभाग में सिंचाई हेतु पर्याप्त बिजली न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्यमंत्री, ऊर्जा का ध्यान आकर्षित किया।

श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री, ऊर्जा ने इस पर वक्तव्य दिया।

(कांग्रेस पक्ष के अनेक सदस्यगण शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर गर्भगृह में आए तथा बहिर्गमन किया गया।)

(2) श्री बृजमोहन धूत, सदस्य ने देवास जिले के खारपा में खाद्यान्न वितरण न होने की ओर राज्यमंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का ध्यान आकर्षित किया।

श्री पारस चन्द्र जैन, राज्यमंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण ने इस पर वक्तव्य दिया।

**उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।**

(3) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, सदस्य ने सागर जिले में अमानक स्तर की खाद की बिक्री होने की ओर राज्यमंत्री किसान कल्याण तथा कृषि विकास का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, राज्यमंत्री, किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने इस पर वक्तव्य दिया।

(सर्वश्री गोविन्द सिंह राजपूत, अरूणोदय चौबे आदि सदस्यगण शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर गर्भगृह में आये तथा बहिर्गमन किया गया।)

**अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.**

(4) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य ने राजगढ़ जिले के माचलपुर से जौरापुर मार्ग पूर्ण न होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री नागेन्द्र सिंह (नागौद), लोक निर्माण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(5) श्रीमती सुलोचना रावत, सदस्य ने प्रदेश में आदिवासी छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरण में अनियमितता होने की ओर आदिम जाति कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

कुंवर विजय शाह, आदिम जाति कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(6) श्रीमती इमरती देवी, सदस्य ने डबरा नगर पालिका अध्यक्ष को दोषी पाये जाने के बावजूद कार्यवाही न होने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(7) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य ने उज्जैन संभाग में चल रहे उद्योगों से प्रदूषण होने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री जयंत मलैया, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(8) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सदस्य ने ग्वालियर स्थित उद्योग बंद होने से श्रमिकों को समुचित इलाज न मिल पाने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री जगन्नाथ सिंह, श्रम मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

**अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, कार्यसूची के पद 3 के उपपद (9) से (15) तक के सदस्यों की निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्रीगण द्वारा वक्तव्य पढ़े माने गए -**

(9) श्री अजय सिंह, सदस्य की डिण्डोरी जिले के ग्राम चन्द्रगढ़ के परिवारों को राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत कार्य न मिलने संबंधी सूचना तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का वक्तव्य।

(10) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल में ट्रेवल्स मालिकों द्वारा यात्रियों से मनमाना किराया वसूले जाने संबंधी सूचना तथा परिवहन मंत्री का वक्तव्य।

(11) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की गुना जिले के आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बस दुर्घटना से कई यात्रियों की मौत होने संबंधी सूचना तथा परिवहन मंत्री का वक्तव्य।

(12) श्री पारस दादा, सदस्य की रतलाम जिले में ट्यूबवेल के पानी में फ्लोराईड की मात्रा पाई जाने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का वक्तव्य।

(13) श्री अजय यादव, सदस्य की टीकमगढ़ जिले में वन समितियों की राशि का दुरूपयोग होने संबंधी सूचना तथा वन मंत्री का वक्तव्य।

(14) श्री लखन घनघोरिया, सदस्य की जबलपुर के मदनमोहन मालवीय वार्ड में राशन कार्ड आवंटन में अनियमितता होने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का वक्तव्य।

(15) सर्वश्री मदन कुशवाह तथा राधेलाल बघेल, सदस्य की ग्वालियर जिले के ग्राम तालपुरा में दूषित पेयजल का प्रदाय होने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का वक्तव्य।

## 6. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री शांतिलाल धबाई, सदस्य ने नियम समिति का प्रथम प्रतिवेदन पटल पर रखा।

## 7. याचिकाओं की प्रस्तुति

**अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -**

(1) श्रीमती उमादेवी खटीक, सदस्य की दमोह जिले के -

(क) ग्राम पंचायत बछामों में 20 सीट का आदिवासी छात्रावास बालक एवं बालिका स्वीकृत किये जाने,
(ख) ग्राम पटेरा में नवीन नल-जल योजना अंतर्गत नई पाईप लाईन का विस्तार किये जाने,
(ग) ग्राम रसीलपुर की माध्यमिक शाला को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
(घ) ग्राम रनेह से बलेय, गैसाबाद तक रोड का डामरीकरण किये जाने,
(ङ) ग्राम गाता एवं बमुरिया के तालाब का गहरीकरण किये जाने,
(च) ग्राम गाता, कौड़िया, बमुरिया हरिजन बस्ती में धर्मशाला निर्माण किये जाने, तथा
(छ) ग्राम इमलिया रावत में विद्युत सब स्टेशन बनाये जाने,

(2) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य की मंदसौर जिले के -

(क) ग्राम अघोरिया के देवनारायण मंदिर मार्ग पर पुलिया निर्माण किये जाने,
(ख) ग्राम भाऊगढ़ शिवना नदी से वार्ड नं. 16 एवं 17 तक सीमेंट रोड का निर्माण किये जाने,
(ग) ग्राम माऊखेड़ी में सीमेन्टेड रोड एवं नालियां निर्माण किये जाने,
(घ) ग्राम पित्याखेड़ी जागीर के बुगलिया नाले पर रपटानुमा पुलिया निर्माण कराये जाने, तथा
(ङ) ग्राम नौगवां के सदर बाजार को सीमेन्टेड कराये जाने,

(3) श्री पारस सकलेचा, सदस्य की रतलाम जिले के -

(क) वार्ड नं. 30 शिवनगर कालोनी में नलकूप खनन किये जाने,
(ख) वार्ड नं. 30 में सड़क निर्माण किये जाने,
(ग) जावरा नगर के वार्ड नं. 29 में सी.सी. रोड निर्माण किये जाने,
(घ) जावरा नगर के वार्ड नं. 9 हरिजन बस्ती में ट्यूबवेल लगाये जाने,
(ङ) ग्राम मलवासा में माध्यमिक स्कूल को हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,
(च) जावरा नगर के वार्ड नं. 9 की काशीराम कालोनी में सीमेन्टेड रोड निर्माण कराये जाने,
(छ) ग्राम वार्ड नं. 45 में सीमेन्टेड या डामरीकृत सड़क बनाये जाने,
(ज) जावरा नगर के वार्ड नं. 9 में ट्यूबवेल लगाये जाने,
(झ) वार्ड नं. 45 में 6 इंची पाईप लाईन डालकर पानी सप्लाई किये जाने, तथा
(ञ) जावरा नगर के वार्ड नं. 30 सावरिया कालोनी में सड़क/नाली निर्माण किये जाने,

(4) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले के -

(क) लहार नगर के स्टेडियम को खेल विभाग के अंतर्गत किये जाने,

(ख) लहार नगर के होम्योपैथिक अस्पतालों के भवनों का निर्माण किये जाने,

(ग) प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत स्योढ़ा से लिलवारी तक मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने,

(घ) प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत दबोह से मडोरी मार्ग निर्माण किये जाने, तथा

(ङ) लहार नगर एवं दबोह के मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(5) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य की धार जिले के -

(क) सरदारपुर में उप स्वास्थ्य केन्द्र प्रारम्भ किये जाने,

(ख) सरदारपुर के ग्राम मजरा गवलीपुरा में नवीन पशु चिकित्सालय खोले जाने,

(ग) दत्तीगांव में कन्या हाईस्कूल एवं बडोदिया में हायर सेकेण्ड्री स्कूल प्रारम्भ किये जाने,

(घ) राजगढ़ को नगर पालिका में परिवर्तित किये जाने,

(ङ) सरदारपुर को औद्योगिक क्षेत्र बनाये जाने,

(च) सरदारपुर के ग्राम तिरला, लेडगांव, जौलाना व दत्तीगांव में पुलिस चौकी स्वीकृत किये जाने तथा

(छ) सरदारपुर में आई.टी.आई. केन्द्र स्वीकृत किये जाने

संबंधी याचिकाऐं पढ़ी हुई मानी गई।

## 8. वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(1) श्री नागेन्द्र सिंह (नागौद), लोक निर्माण मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को लेखानुदान द्वारा दी गई धन राशि के अतिरिक्त-

| | |
|---|---|
| अनुदान संख्या - 24 | लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल के लिए एक हजार आठ सौ तिरसठ करोड़, तीन लाख, आठ हजार रूपये, |
| अनुदान संख्या - 42 | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल के लिए तीन सौ तेरह करोड़, सात लाख रूपये |
| अनुदान संख्या - 67 | लोक निर्माण कार्य-भवन के लिए तीन सौ इकहत्तर करोड़, बानवे लाख, सात हजार रूपये तथा |
| अनुदान संख्या - 76 | लोक निर्माण से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं के लिए एक करोड़ पचास लाख रूपये. |

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

| **मांग संख्या** | **कटौती प्रस्ताव क्रमांक** |
|---|---|
| मांग संख्या - 24 | 1, 5, 8, 9, 16, 18, 19, 22, 23, 27, 28, 32, 33, 34 |
| मांग संख्या - 42 | 4, 7, 8, 9 |
| मांग संख्या - 67 | 6, 7, 11, 14 |

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा

**उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।**

(2) श्री गिरिजा शंकर शर्मा
(3) श्री दिलीप सिंह गुर्जर
(4) श्री मदन कुशवाह
(5) श्री प्रेमनारायण ठाकुर
(6) श्री प्रियव्रत सिंह
(7) श्री मनीराम धाकड़
(8) श्री पारस दादा
(9) डॉ. प्रभुराम चौधरी
(10) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया

(11) श्रीमती नीना विक्रम वर्मा
(12) श्री सुरेश चौधरी
(13) श्री राधेलाल बघेल
(14) श्री ताराचंद बावरिया
(15) श्री नारायण प्रजापति

**अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.**

(16) श्री सुदर्शन गुप्ता
(17) श्री शिवमंगल सिंह तोमर

**सभापति महोदय (चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी) पीठासीन हुए.**

(18) श्री रमेश दिलीप भटेरे
(19) राव देशराज सिंह यादव
(20) श्री अभय कुमार मिश्रा
(21) श्री माखनलाल राठौर
(22) श्रीमती ललिता यादव
(23) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर
(24) श्री बृजमोहन धूत
(25) श्री रणजीत सिंह गुणवान
(26) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर
(27) श्री प्रहलाद भारती

श्री नागेन्द्र सिंह (नागौद), लोक निर्माण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

**अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.**

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

## 9. संपत्ति विवरण पटल पर रखा जाना

श्री जगन्नाथ सिंह, श्रम मंत्री ने अपनी तथा अपने परिवार की सम्पत्ति का विवरण पटल पर रखा।

## 10. वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(2) श्रीमती अर्चना चिटनिस, स्कूल शिक्षा मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को लेखानुदान द्वारा दी गई धन राशि के अतिरिक्त-

अनुदान संख्या - 27 स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) के लिए दो हजार पांच सौ तिरेपन करोड़, अन्ठानवे लाख, तैंतीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 77 स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) के लिए आठ सौ सोलह करोड़, आठ लाख, पैंसठ हजार रूपये.

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव क्रमांक |
|---|---|
| मांग संख्या - 27 | 2, 16, 20, 27 |
| मांग संख्या - 77 | 7 |

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) डॉ. निशिथ पटेल

**उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।**

(2) श्री देवेन्द्र पटेल
(3) डॉ. प्रभुराम चौधरी
(4) श्री मदन कुशवाह

## 11. अशासकीय कार्य संबंधी व्यवस्था

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 23 के अधीन शुक्रवार की बैठक के अंतिम ढाई घन्टे गैर-सरकारी सदस्यों के कार्यों के लिए नियत हैं। सदन में कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन पर हुए निर्णय अनुसार सदन की कार्यवाही शाम 7.00 बजे तक निर्धारित है। अत: आज की कार्यसूची के पद 6 के उपपद (3) में उल्लिखित कार्य पूर्ण होने के बाद अशासकीय कार्य के लिए ढाई घंटे निर्धारित किए गए हैं।

सदन द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

## 12. वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(5) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर
(6) श्री राधेलाल बघेल
(7) श्रीमती ललिता यादव
(8) श्री सुरेश चौधरी
(9) राव देशराज सिंह यादव
(10) श्री पारस दादा
(11) श्री प्रेमनारायण ठाकुर
(12) डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी
(13) श्री गिरिजाशंकर शर्मा
(14) श्रीमती उमादेवी खटीक
(15) श्री श्रीकांत दुबे
(16) श्री रणजीत सिंह गुणवान
(17) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी

श्रीमती अर्चना चिटनिस, स्कूल शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.**

(3) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को लेखानुदान द्वारा दी गई धन राशि के अतिरिक्त -

अनुदान संख्या - 28 राज्य विधान-मंडल के लिए इकतालीस करोड़, उनासी लाख, दो हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या - 29 विधि और विधायी कार्य के लिए तीन सौ छब्बीस करोड़, उनसठ लाख, अठारह हजार रूपये
तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

| **मांग संख्या** | **कटौती प्रस्ताव क्रमांक** |
|---|---|
| मांग संख्या - 28 | 1, 4, 6, 8 |
| मांग संख्या - 29 | 1, 5 |

**उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।**

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी
(2) श्री कमलेश जाटव

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

## 13. अशासकीय संकल्प

(1) श्री श्रीकान्त दुबे, सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि -
"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि पन्ना को सतना रेल लाईन से जोड़ा जाये.".

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री श्रीकांत दुबे
(2) श्री केदारनाथ शुक्ला
(3) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी
(4) श्री नारायण प्रजापति

श्री जगदीश देवड़ा, परिवहन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(2) सर्वश्री मोतीलाल तिवारी तथा लक्ष्मण तिवारी,सदस्य का निम्नलिखित संकल्प उनकी अनुपस्थितिवश प्रस्तुत नहीं किया गया -
"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि रीवा-भोपाल रेवांचल एक्सप्रेस में वातानुकूलित (ए.सी.) श्रेणी 2 व 3 की एक-एक बोगी तथा शयनयान श्रेणी की एक बोगी स्थायी रूप से जोड़ी जाय.".

(3) श्री रत्नेश सॉलोमन, सदस्य का निम्नलिखित संकल्प उनकी अनुपस्थितिवश प्रस्तुत नहीं किया गया -
"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि भोपाल-हावड़ा एक्सप्रेस जो सप्ताह में एक दिन चलती है, इस ट्रेन को प्रति दिन चलाया जाये.".

(4) श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार,सदस्य का निम्नलिखित संकल्प उनकी अनुपस्थितिवश प्रस्तुत नहीं किया गया -
"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि प्रदेश के इंदौर व महाकाल की नगरी उज्जैन से व्हाया भोपाल होकर बनारस-काशी विश्वनाथ हेतु ट्रेन चलाई जाये.".

(5) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि -
"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि मध्यप्रदेश के मंदसौर, रतलाम एवं नीमच जिलों के अफीम उत्पादक लायसेंसी कृषकों की फसल नष्ट न की जावे.".
निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(2) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी
(3) श्री प्रेमनारायण ठाकुर

श्री राघवजी, वाणिज्यक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 7.07 बजे विधानसभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 18 मार्च, 2010 (फाल्गुन 27, 1931) के 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

**डॉ. ए.के.पयासी**
**प्रमुख सचिव,**
**मध्यप्रदेश विधान सभा.**

**भोपाल :**
**दिनांक : 12 मार्च, 2010**